

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या—NHM/BHDS/680/2013—
प्रेषक,

1603 / कृ०, पटना, दिनांक 17.10.2014, सितम्बर, 2014

विश्वनाथ चौधरी,
सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

विषय

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा: वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

1480
17.10.14

आदेश— स्वीकृत।

निदेशानुसार कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या—पी०पी०एम०—11/2013—2847 दिनांक 31.05.2013 (अनुसूची-1) तथा राज्यादेश संख्या—5469 दिनांक 04.11.2013 (अनुसूची-2) के क्रम में राज्य सरकार द्वारा एग्री बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के सूत्रण एवं कार्यान्वयन के लिए गठित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी०एम०यू०) के लिए वर्ष 2014—15 में 40.00 लाख (चालीस लाख) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

2. कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या—पी०पी०एम०—11/2013—2847 दिनांक 31.05.2013 तथा राज्यादेश संख्या—5469 दिनांक 04.11.2013 द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए कतिपय पदों का सृजन किया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के नियत मानदेय के भुगतान के लिए कुल 40.00 लाख (चालीस लाख) रुपये स्वीकृत किया जाता है।

3. स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा की जा सकेगी। राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से आवश्यकतानुसार की जायेगी।

4. कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या—पी०पी०एम०—11/2013—2847 दिनांक 31.05.2013 तथा राज्यादेश संख्या—5469 दिनांक 04.11.2013 द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम एवं शर्तें यथावत रहेंगी। प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन के हित में यथावश्यक निर्णय लिया जा सकेगा।

5. उक्त योजना के लिए निकासी हेतु स्वीकृत बजट शीर्ष 2401—फसल कृषि कर्म—लघु शीर्ष—109—विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण—मांग सं०—01—उपशीर्ष 0114— एग्री बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट (बाह्य सम्पोषित परियोजना) विपत्र कोड—P2401001090114 के अधीन वर्ष 2014—15 में विषय शीर्ष 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में उपबंधित कुल 40.00 लाख (चालीस लाख) रुपये से विकलनीय होगा।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या—96 वि० (2) दिनांक 03.01.2008 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक 07.05.2013 तथा 15.10.2013 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या—पी०पी०एम०—11/2013 के पृ०सं०—27 एवं 56/टि० पर प्राप्त है।

7. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या—7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—NHM/BHDS/680/2013 के पृ०सं०—8/टि० पर दिनांक 01.09.2014 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विश्वनाथ चौधरी)
सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 1603.

/कृ०, पटना, दिनांक 19.

सितम्बर, 2014

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

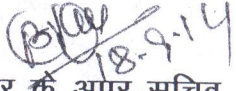

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 1603.

/कृ०, पटना, दिनांक 19.

सितम्बर, 2014

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

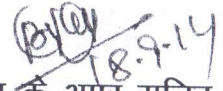

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 1603.

/कृ०, पटना, दिनांक 19.

सितम्बर, 2014

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

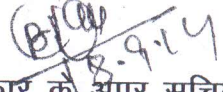

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 1603.

/कृ०, पटना, दिनांक 19.

सितम्बर, 2014

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार, पटना/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।